

**राजस्थान सरकार**  
**कार्यालय निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर**

**आदेश 172**

**15 JUN 2018**

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1693/17 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम अनिल कुमार में पारित निर्णय की अनुपालना में जारी चयनित अभ्यर्थियों की सूची में से निम्न वर्णित अभ्यर्थियों की नियुक्ति डी.बी. अपील संख्या- 965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 एवं एस.बी.सी. रिट पिटिशन संख्या 4043/2018 गजेन्द्र सिंह बनाम राज्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2018 तथा अन्य याचिकाओं/अपीलों के अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहते हुए प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर के पत्र प.1(6)प्र0सु0/अनु-3/2017 दिनांक 08.02.2018 एवं 01.06.2018 के द्वारा विभाग को आवंटित किये जाने पर राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के तहत कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षाकाल पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में लिपिक ग्रेड-1A (कनिष्ठ सहायक) के पद पर वित्त विभाग (नियम डिवीजन) द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के शिड्यूल 4 के तहत लेवल 5 में 14600/- (अक्षरे चौदह हजार छः सौ मात्र) स्थिर पारिश्रमिक मासिक की दर पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार संभालने की तिथि से उनके सम्मुख अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाकर पदस्थापन एतद् द्वारा किया जाता है। उक्त समस्त नियुक्तियां उपरोक्त वर्णित रिट/अपीलों के अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगी।


क्र.स.	मेरिट क्रमांक	नाम	पिता का नाम	जन्म दिनांक	श्रेणी	पदस्थापन स्थल, कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
1.	3006	VIKRAM MUNDOTIA	BHAGWAN SAHAY MUNDOTIA	04-01-1993	ST	जयपुर मुख्यालय
2.	3387	NEMA RAM DHUNDHWAL	IMA RAM DHUNDHWAL	01-04-1993	OBC	नागौर
3.	3896	HITESH KUMAR	ASHOK KUMAR	16-07-1993	OBC	चूरु
4.	4041	SUKHA RAM GADHWAL	PEERARAM	20-07-1986	OBC	अजमेर
5.	4237	ANITA KUMARI	ROOP SINGH	03-12-1991	OBC	चूरु
6.	4412	REEMA CHAWLA	BALKRISHAN CHAWLA	25-05-1991	Gen	अलवर
7.	4416	RAVI PRAKASH MANDRAWALIYA	RADHEY SHYAM MANDRAWALIYA	28-08-1991	SC	जयपुर मुख्यालय

- उक्त नियुक्तियां डी.बी. स्पेशल रिट अपील संख्या- 965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 एवं अन्य विविध याचिकाओं/अपीलों के अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगी।

2. उपरोक्त अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार ग्रहण करना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर दें कि वे कब तक कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
3. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
4. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ.11/एसटी एससी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015 पत्रांक 63606-726 दिनांक 20.10.2015 एवं प.11(204)आरण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/68999-69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा-निर्देशों/सत्यापन के अध्यक्षीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
5. परीक्षाकाल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
6. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परीक्षा काल की समाप्ति पर ली गई विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो में असफल रहने पर उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
7. दो वर्ष की परीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण लिपिक ग्रेड द्वितीय (कनिष्ठ सहायक)के पद पर पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या 5 में नियमानुसार वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।
8. उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता लिपिक ग्रेड द्वितीय प्रतियोगी परीक्षा 2013 में विभाग हेतु योग्यता सूची के अनुसार उपरोक्त योग्यता क्रम में ही रहेगी।
9. परीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
10. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सं. एफ13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
11. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
12. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र इस संबंध में लागू होंगे।
13. संबंधित अभ्यर्थियों को पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का नियुक्तकर्ता को अधिकार होगा। कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्व-वृत्त सत्यापन के दौरान कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा। अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व 10/- रूपये सममूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करता होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये प्रमाण-पत्र सत्य है। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/फर्जी पाये जाने पर नियुक्तकर्ता द्वारा इनके सेवार्थ तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।
14. परीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, 6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, 13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (fixed Remuneration) के हकदार होंगे इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा-मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति

भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अधधीन होगा।

15. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
16. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि लिपिक ग्रेड द्वितीय(कनिष्ठ सहायक) के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
17. अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

  
(विमल कुमार जैन)  
निदेशक

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ1(ए)49/पार्ट-5/संस्था/बीमा/2018/3862-3872 दिनांक : 15 JUN 2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक : प.1(6)प्र0सु0/अनु-3/2017 दिनांक 08.02.2018 एवं 01.06.2018 के क्रम में।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
6. अतिरिक्त/उप/सहायक निदेशक, जयपुर संभाग प्रथम, जयपुर संभाग द्वितीय, अजमेर संभाग, बीकानेर संभाग, अजमेर, नागौर, चूरु, अलवर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, को प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग के पत्र क्रमांक: प.1(6)प्र0सु0/अनु-3/2017 दिनांक 08.02.2018 की प्रति भेजकर लेख है कि वे इसमें उल्लेखित शर्तों के सत्यापन के पश्चात् कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. संयुक्त निदेशक (संस्थापन)/(मुख्यालय), मुख्यालय, जयपुर।
8. सम्बन्धित कर्मचारी।
9. वरिष्ठता निर्धारक लिपिक/केडर स्ट्रेंथ लिपिक
10. सेवा पुस्तिका लिपिक संबंधित कार्यालय, राज्य बीमा एवं प्रा0नि0विभाग,
11. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली

  
(किशनाराम ईशरवाल) 15/6/18

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,  
राजस्थान, जयपुर।